

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAदिल्ली राजपत्र
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-24012024-251578
SG-DL-E-24012024-251578असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]	दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2024/माघ 3, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 401
No. 31]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2024/MAGHA 3, 1945	[N. C. T. D. No. 401

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIसमाज कल्याण विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 23 जनवरी, 2024

फा0 सं0 85(6)/एडी-III/डीएसडब्ल्यू/2008-09/पार्ट-I/18862-18875.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 24 की उपधारा (3) के खंड (f) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा सहायक सामग्री और उपकरणों के रूप में बेंचमार्क दिव्यांगता से संबद्ध व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की गतिशीलता और क्षमता को सुविधाजनक बनाने हेतु सुविधाएँ प्रदान करने के लिए "सुगम्य सहायक योजना" नामक निम्नलिखित योजना बनाते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं विस्तार :

- इस योजना को सुगम्य सहायक योजना (बेंचमार्क दिव्यांगता से संबद्ध व्यक्तियों की गतिशीलता और क्षमता को सुविधाजनक बनाने के लिए) कहा जाए।
- यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बेंचमार्क दिव्यांगता से संबद्ध व्यक्तियों के लिए लागू होगी।

2. प्रारंभ: यह योजना दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

3. उद्देश्य:

- I. बेंचमार्क दिव्यांगता से संबद्ध व्यक्तियों की उनके दैनिक जीवन में गतिशीलता को बढ़ाना और सशक्त बनाना तथा विभिन्न आजीविका के अवसरों तक पहुंच प्रदान करना है।
- II. ऐसे सहायक सामग्री और उपकरण प्रदान करना जो कि टिकाऊ और मानकीकृत गुणवत्ता वाले हों और जो उन्हें भौतिक वातावरण में बाधाओं से निपटने में सहायता करेंगे।

4. योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगता से संबद्ध व्यक्तियों के लिए पात्रता मानदंड :

- I. आवेदक को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र/यूडीआईडी (UDID) कार्ड के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता से संबद्ध व्यक्ति (40% या उससे अधिक दिव्यांगता) होना चाहिए।
- II. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
- III. परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय-सीमा 8,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- IV. आवेदक को विगत तीन (3) वर्षों के दौरान किसी अन्य राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या केंद्र सरकार अथवा कोई अन्य स्रोत की किसी अन्य योजना से समान वस्तु प्राप्त नहीं की होनी चाहिए अथवा न ही अभी प्राप्त की जा रही हो। तथापि, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, निर्मित उपकरणों पर कोई सीमा लागू नहीं होगी। यह मोटर चालित तिपहिया साइकिल और व्हीलचेयर पर लागू नहीं होता है। आवेदक या आवेदक के माता-पिता/अभिभावक द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाएगी कि उसने किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र अथवा किसी अन्य स्रोत की किसी अन्य योजना से कोई समान लाभ अर्थात् समान वस्तु का लाभ नहीं उठाया है।
- V. आधार कार्ड होना चाहिए।
- VI. **मोटरचालित तिपहिया साइकिल :**
 - क्वाड्रिप्लेजिया, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हेमिप्लेजिया से ग्रसित केवल गंभीर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए या कोई अन्य समान स्थिति जहां शरीर के दोनों निचले अंग या शरीर का आधा हिस्सा 80% या अधिक दिव्यांगता के साथ गंभीर रूप से प्रभावित हो।
 - केवल 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सहायता तीन (3) वर्षों में एक बार प्रदान की जाएगी।
 - आवेदक द्वारा इस प्रकार की सहायता न लेने की वचनबद्धता दी जाए।
 - मानसिक मंदता वाले 16 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति मोटरचालित/बैटरी चालित तिपहिया साइकिल के लिए पात्र नहीं होंगे; क्योंकि यह उन्हें दुर्घटना/शारीरिक क्षति के गंभीर जोखिम में डाल सकती है।
- VII. **हाथ से चलने वाली तिपहिया साइकिल :**
 - बेंचमार्क दिव्यांगता से संबद्ध व्यक्तियों को जिनकी दिव्यांगता 80% से अधिक नहीं है, सहायता तीन (3) वर्षों में एक बार प्रदान की जाएगी।
 - आवेदक द्वारा इस प्रकार की सहायता न लेने की वचनबद्धता दी जाए।
 - मानसिक मंदता वाले गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति तिपहिया साइकिल के लिए पात्र नहीं होंगे; क्योंकि यह उन्हें दुर्घटना/शारीरिक क्षति के गंभीर जोखिम में डाल सकती है।
- VIII. **व्हीलचेयर (मोटरचालित) :**
 - बेंचमार्क दिव्यांगता से संबद्ध व्यक्तियों को तीन (3) वर्षों में एक बार सहायता प्रदान की जाएगी।
 - आवेदक द्वारा इस प्रकार की सहायता न लेने की वचनबद्धता दी जाए।

5. आपूर्ति एजेंसी

- 5.1 कृत्रिम अंग निर्माण निगम, एलिम्को (ALIMCO) (दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)।
- 5.2 एलिम्को (ALIMCO) निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली वस्तुओं की सूची के अनुसार सहायक सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति करेगा :
- I. शिविरों में गुणवत्ता सहायक उपकरणों को प्रदान करने का पूर्ण उत्तरदायित्व एलिम्को (ALIMCO) का होगा एवं समाज कल्याण विभाग की भूमिका विशुद्ध रूप से एक समर्थक की होगी।
 - II. सहायक सामग्री और उपकरणों का मूल्य भारत सरकार की एडिप (ADIP) योजना के अंतर्गत निर्धारित मूल्य से अधिक नहीं होगा।
 - III. एलिम्को (ALIMCO) द्वारा लाभार्थियों को निर्मित वस्तुओं के मामले में उनके उचित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए शिविर के दौरान प्रशिक्षण तथा जागरूकता प्रदान की जाएगी।
 - IV. एलिम्को (ALIMCO) से आपूर्ति नामांकन के आधार पर प्रस्तावित है।
 - V. एलिम्को (ALIMCO) द्वारा योजना के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने में विफलता के मामले में, योजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान कार्यान्वयन में अनुचित देरी, घटिया उत्पादों/सहायक सामग्रियों तथा उपकरणों के उपबंध, लाभार्थियों की शिकायतों के अनुसार एलिम्को (ALIMCO) से आपूर्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और सर्वोत्तम उपलब्ध विकल्प का पता लगाया जाएगा।
 - VI. एलिम्को (ALIMCO) इस प्रयोजनार्थ, पहले से ही विकसित लाभार्थियों की मौजूदा एमआईएस (MIS) प्रणाली के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी कोई प्रतिलिपि (Duplicacy) न हो।
 - VII. यदि वस्तु दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त पाई जाती है, तो एलिम्को (ALIMCO) इसकी मरम्मत/प्रतिस्थापन निःशुल्क करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 5.3 समाज कल्याण विभाग माननीय मंत्री (समाज कल्याण) के अनुमोदन तथा वित्त विभागों की सहमति से वस्तुओं की समय पर और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एलिम्को (ALIMCO) के साथ पाँच वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।
- 5.4 योजना की प्रभावशीलता का आंकलन करने तथा यदि आवश्यक हो, तो किसी भी आशोधन संबंधी सुझाव देने हेतु प्रशासनिक सचिव (समाज कल्याण) द्वारा इस प्रयोजनार्थ चिह्नित किए गए एक प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठन द्वारा वार्षिक रूप से योजना का एक तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षा वार्षिक रूप से आयोजित की जाएगी। इसमें वित्तीय, निष्पादन तथा सामाजिक लेखा-परीक्षा शामिल होगी। यदि आवश्यक हो, तो प्रथम वर्ष से अधिगम के आधार पर दिशा-निर्देशों को संशोधित किया जाएगा।

6. योजना के अंतर्गत सहायक सामग्री तथा उपकरण :

- I. एलिम्को (ALIMCO) से सहायक सामग्री तथा उपकरणों (निर्मित और उपयोग हेतु तैयार) की कीमत के साथ उनकी सूची के लिए अनुरोध किया जाएगा।
- II. यदि एलिम्को (ALIMCO) सहायक सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति करने में असमर्थ है, तो सर्वोत्तम उपलब्ध विकल्प को ढूँढा जाएगा।

7. सहायक सामग्री तथा उपकरणों के वितरण हेतु प्रक्रिया :

- I. प्रत्येक वर्ष जिला स्तर पर कम से कम एक बार शिविर का आयोजन करके लाभार्थियों को सहायक सामग्री एवं उपकरण वितरित किये जाएंगे।
- II. लक्षित आबादी तक पहुंचने के लिए समाज कल्याण विभाग और एलिम्को (ALIMCO) दोनों के द्वारा एक आउटरीच, जागरूकता तथा प्रचार अभियान आयोजित किया जाएगा; ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेंचमार्क दिव्यांगता से संबद्ध सभी पात्र व्यक्ति शिविर सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
- III. एलिम्को (ALIMCO) निम्नलिखित तरीकों से योजना का प्रचार करेगा :

- विज्ञापन
 - जिला डाटाबेस के माध्यम से लाभार्थी की पहचान ।
 - सिविल सोसाइटी संगठनों के समर्थन से ।
- IV. एलिम्को (ALIMCO) विशिष्ट बालकों के लिए स्कूलों में समाज कल्याण विभाग के सहयोग से सीधे शिविरों का भी आयोजन करेगा।
 - V. एलिम्को (ALIMCO) के द्वारा जिला स्तर पर उपयोग के लिए तैयार तथा निर्मित वस्तुओं हेतु विभिन्न शिविरों को आयोजित किया जाएगा। आंकलन शिविर के पश्चात सहायक सामग्री तथा उपकरणों के वितरण हेतु शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
 - VI. आवेदक, एलिम्को (ALIMCO) तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा अपने संबंधित जिले में आयोजित किए जाने वाले आंकलन शिविरों में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होंगे। आंकलन उन पेशेवर प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स द्वारा आंकलन शिविर में एलिम्को (ALIMCO) द्वारा किया जाएगा जो बेंचमार्क दिव्यांगता से संबद्ध व्यक्तियों को उपयुक्त सहायक सामग्री तथा उपकरण प्रदान करने के लिए आंकलन करने हेतु योग्य और अनिवार्य हैं।
 - VII. आंकलन शिविर के दौरान किए गए आंकलन के अनुसार एलिम्को (ALIMCO) अपने द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं का इनवॉइस प्रोफार्मा प्रस्तुत करेगा तथा इनवॉइस के आधार पर भुगतान को जारी किया जाएगा।
 - VIII. एलिम्को (ALIMCO) द्वारा जारी इनवॉइस में 10 प्रतिशत प्रशासनिक लागत भी शामिल होगी। यह बिना किसी अतिरिक्त लागत के परीक्षण, जागरूकता और देखभाल के बाद सेवाएं प्रदान करके उपयोगकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए है।
 - IX. वितरण शिविर में लाभार्थी द्वारा वस्तु के परीक्षण को शामिल करते हुए वस्तु (सहायता सामग्री तथा उपकरण) के उपयोग के संबंध में लाभार्थी को जागरूकता एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह उपयोगकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए है। लाभार्थी जब एक बार उत्पाद से संतुष्ट हो जाता है, तो उसके द्वारा शिविर में एक रसीद प्राप्त की जाएगी, जिसमें वस्तु की सफल डिलीवरी दर्शाई जाएगी और यह भी बताया जाएगा कि उसने वस्तु का उपयोग करने की विधि को समझ लिया है। जिला स्तर पर फीडबैक प्रक्रिया के रूप में उपयोगकर्ता की संतुष्टि के लिए एक चेकलिस्ट बनाई जाएगी।
 - X. यदि वस्तु दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त पाई जाती है, तो एलिम्को (ALIMCO) वितरण के समय या वितरण के एक वर्ष के भीतर इसकी मरम्मत/प्रतिस्थापन निःशुल्क करने के लिए उत्तरदायी होगा।
 - XI. लाभार्थी को जिला कार्यालय और एलिम्को द्वारा वितरण शिविर के बारे में एस.एम.एस. (SMS) द्वारा सूचित किया जाएगा।
 - XII. वितरण के फोटोग्राफ और लाभार्थियों की सूची उनके पते, दिव्यांगता के प्रकार, दी गई सहायक सामग्री/उपकरण के प्रकार, कुल लागत और वितरण की तिथि के साथ समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर प्रतिमाह प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
 - XIII. उम्मीदवारों द्वारा किए गए सभी दावों, जैसे—दिव्यांगता का प्रतिशत, स्थानीय स्थिति आदि को आवश्यक रूप से स्व-सत्यापित दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित किया जाए।

8. आवेदन प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेज :

आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होगी :

- I. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र/यूडीआईडी (UDID) कार्ड की प्रति, जिसमें व्यक्ति की बेंचमार्क दिव्यांगता दर्शायी गई हो।
- II. एलिम्को (ALIMCO) से आंकलन रिपोर्ट की प्रति।

III. निवास संबंधी प्रमाण— निम्नलिखित में से कोई भी :-

- मतदाता पहचान-पत्र
- राशन-कार्ड
- पासपोर्ट
- बिजली का बिल
- पानी का बिल
- टेलीफोन का बिल
- गैस कनेक्शन की रसीद
- बैंक पासबुक
- ड्राइविंग लाइसेंस
- एमसीडी रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र
- बीमा पॉलिसी दस्तावेज
- लाभार्थी का टीकाकरण कार्ड
- दिल्ली में उपचार का मेडिकल रिकॉर्ड
- छात्र आईडी कार्ड
- जाति प्रमाण-पत्र
- सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनी/स्थापित संस्था का सेवा पहचान-पत्र
- स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र
- पेंशन संबंधी दस्तावेज
- भूतपूर्व सैनिक आश्रित प्रमाण-पत्र
- संपत्ति संबंधी दस्तावेज
- दिल्ली स्कूल में छात्र नामांकन का प्रमाण
- कोई अन्य दस्तावेज जो दिल्ली में निवास को स्पष्ट रूप से दर्शाता हो।

IV. आधार कार्ड की प्रति ।

V. आवेदक के दो पासपोर्ट साइज फोटो ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
विनोद पी. कावले, सचिव

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE**NOTIFICATION**

Delhi, the 23rd January, 2024

F 85(6)/AD-III/DSW/2008-09/Pt-I/18862-18875.—In exercise of powers conferred under sub-section (1) read with clause (f) of sub-section (3) of section 24 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016, the Lt. Governor of NCT of Delhi is pleased to make the following Scheme, namely “SUGAMYA SAHAYAK SCHEME” in order to provide facilities to facilitate mobility and capability of Persons with Benchmark Disabilities (PwBDs) in the form of Aids and Appliances.

1. SHORT TITLE ANDEXTENT:

- I. The scheme may be called as Sugamya Sahayak Scheme (to facilitate mobility & capability of Persons with Benchmark Disabilities).
- II. The scheme shall be applicable for the Persons with Bench Mark Disabilities of NCT of Delhi

2. COMMENCEMENT: The scheme shall come into force with effect from the date of its publication in the Delhi Gazette.

3. OBJECTIVES:

- I. To enhance and empower the mobility of Persons with Benchmark Disabilities in their daily lives and provide access to various livelihood opportunities.
- II. To provide aids and appliances of durable and standardized quality which would help them to tackle barriers in the physical environment.

4. ELIGIBILITY CRITERIA FOR PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES APPLYING UNDER THE SCHEME:

- I. The applicant must be a Person with Benchmark Disability (40% or more disability) as per Disability Certificate/UDID Card issued by an Authorized Medical Authority under the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.
- II. Must be resident of NCT of Delhi.
- III. The annual income limit of the family from all sources should not be more than Rs.8,00,000/-
- IV. The applicant should not be obtaining the same item or should not have obtained the same item from any other scheme of any other State Government/ UT Administration or Central Government or any other source during the last three (3) years. However, for children below 12 years of age, no limit would be applicable for appliances that are fabricated. This does not apply to motorized Tricycles and Wheelchairs. An undertaking shall be submitted by the applicant or the parent/guardian of the applicant that he/she has not availed any similar benefit i.e. same item from any other scheme of any other State/UT or Centre or any other source.
- V. Possession of Aadhaar Card.
- VI. **Motorized Tricycles:**
 - Only for Persons with Severe Disability, Quadriplegia, Muscular Dystrophy, Stroke, Cerebral Palsy, Hemiplegia or any other similar condition where both lower limbs of the body or one half of the body is severely affected, with 80% or more disability.
 - Assistance would be provided once in three (3) years and only for persons above 16 years of age.
 - Undertaking of not availing similar assistance is to be given by the applicant.
 - Severely disabled persons above 16 years of age having mental impairment shall not be eligible for motorized/battery operated tricycle as it puts them at serious risk of accident / physical harm.
- VII. **Hand Propelled Tricycle:**
 - Assistance would be provided once in three (3) years to persons with benchmark disability not exceeding 80%.
 - Undertaking of not availing similar assistance is to be given by the applicant.
 - Severely disabled persons having mental impairment shall not be eligible for the tricycle as it puts them at serious risk of accident / physical harm.

VIII. Wheelchairs (Motorized):

- Assistance would be provided once in three (3) years to Persons with Benchmark Disabilities.
- Undertaking of not availing similar assistance is to be given by the applicant.

5. SUPPLYING AGENCY:

5.1 Artificial Limbs Manufacturing Corporation, ALIMCO (a Public Sector undertaking under the Deptt. of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt of India).

5.2 ALIMCO shall supply the aids and appliances as per the list of items to be given by the Department of Social Welfare as per the following terms and conditions:

- I. It shall be sole responsibility of ALIMCO to provide quality assistive devices in camps and Department of Social Welfare role shall be purely that of a supporter.
- II. The prices of aids and appliances shall not be higher than under the ADIP Scheme of Government of India.
- III. Training and awareness shall be provided during the camp by ALIMCO in case of fabricated items for making the beneficiaries aware about proper use of the item.
- IV. The supply from ALIMCO is proposed on nomination basis.
- V. In case of failure to render services under the scheme by ALIMCO, unreasonable delay in execution, provision of shoddy products/ aids and appliances, as indicated by complaints from the beneficiaries, during the period of implementation of the scheme, the supply from ALIMCO shall be cancelled forthwith and best available alternative will be explored.
- VI. ALIMCO shall ensure that there is no duplicacy of beneficiaries through their existing MIS system, already developed for this purpose.
- VII. If the item is found defective or damaged, then ALIMCO shall be responsible for its repair /replacement free of cost.

5.3 The Department of Social Welfare shall enter into an MOU, for the period of five years, with ALIMCO for ensuring timely and quality supply of items, with the concurrence of Finance Departments and approval of Hon'ble Minister (SW).

5.4A third party audit of the scheme shall be conducted annually by a reputed research organization, which shall be identified for this purpose by the Administrative Secretary (Social Welfare) for assessing the efficacy of the scheme and to suggest any modifications, if required. This shall include financial, performance and social audit. On the basis of learning's from first year, the guidelines shall be revised, if needed.

6. AIDS & APPLIANCES UNDER THE SCHEME:

- I. The list of aids and appliances (fabricated and ready to use) along with price of the same will be requested from ALIMCO.
- II. In case ALIMCO is unable to supply aids and appliances then best available alternative will be explored.

7. PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF AIDS AND APPLIANCES:

- I. Aids and appliances shall be distributed to the beneficiary by organizing a camp at least once every year at the district level.
- II. An Outreach, Awareness and Promotion campaign shall be organized by both Department of Social Welfare and ALIMCO to reach out to the targeted population, to ensure that all eligible Persons with Benchmark Disabilities (PwBDs) avail the camp facilities.
- III. ALIMCO shall publicize the scheme by following ways:
 - Advertisement
 - Identification of beneficiary through district database.
 - Support of Civil Society Organizations.
- IV. ALIMCO shall also directly organize camps in collaboration with Social Welfare Department in Schools for Special children.
- V. Different camps shall be organized at the district level by ALIMCO for ready to use and fabricated items. An assessment camp shall be organized followed by camps for distribution of aids and appliances.

- VI. The applicant shall directly visit the assessment camps to be organized in their respective district by ALIMCO and Department of Social Welfare. The assessment shall be done by ALIMCO in the assessment camp by professional Prosthetics and Orthotics who are qualified and mandated to do the assessment for providing suitable aids and appliances to Persons with Benchmark Disabilities (PwBDs).
- VII. ALIMCO shall submit Performa invoice of the items to be supplied by it as per the assessments made during the assessment camp and payment shall be released on the basis of the invoice.
- VIII. The invoice raised by ALIMCO shall also include 10 per cent administrative costs. This is to ensure user satisfaction by providing trial, awareness and after care services without any additional cost.
- IX. In the distribution camp, awareness and training shall be provided to the beneficiary related to the use of item (aids and appliances) including trial of the item by the beneficiary. This is to ensure user satisfaction. Once the beneficiary is satisfied with the product, a receipt shall be obtained by him/her in the camp depicting successful delivery of the item and that he/she has understood the method of using the item. A checklist for user satisfaction shall be made as feedback mechanism at the district level.
- X. If the item is found defective or damaged, then ALIMCO shall be responsible for its repair /replacement free of cost at the time of distribution or within one year of distribution.
- XI. The beneficiary shall be informed by SMS about the distribution camp by the district office and ALIMCO.
- XII. Photographs of the distribution and list of the beneficiaries with their addresses, type of disability, type of aid / appliance given, total cost and date of distribution shall be prominently displayed monthly on the website of the Department of Social Welfare, GNCTD.
- XIII. All claims made by the candidates, like percentage of disability, local status etc. shall necessarily be supported by self-attested documents.

8. APPLICATION FORM AND DOCUMENTS REQUIRED:

The following documents will be mandatorily required along with the application form:

- I. Copy of Disability Certificate/UDID Card issued by an Authorized Medical Authority as per provisions of the RPwD Act, 2016 showing the person to be having benchmark disability.
- II. Copy of Assessment Report from ALIMCO.
- III. Residence Proof— Any of the following: -
 - Voter Identity Card
 - Ration Card
 - Passport
 - Electricity Bill
 - Water Bill
 - Telephone Bill
 - Gas Connection Receipt
 - Bank Passbook
 - Driving License
 - Birth certificate issued by MCD Registrar-Births and Deaths
 - Insurance Policy Document
 - Immunization card of the Beneficiary.
 - Medical records of treatment in Delhi.
 - Student ID Card
 - Caste Certificate
 - Service Identity Card of Public/Private sector company/established concern
 - Freedom Fighter Identity Card
 - Pension Document
 - Ex-Servicemen Dependent Certificate

-
- Property Document
 - Proof of Student enrollment in Delhi School
 - Any other document which clearly shows residence in Delhi.
- IV. Copy of Aadhar card.
- V. Two Passport size photograph of the applicant.

By Order and in the Name of Lt. Governor of National
Capital Territory of Delhi,
VINOD P. KAVLE, Secy.